



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय-भवन
इन्दौर-452001

क.सं.वि.क./रैगिंग रोकथाम/2025/363
प्रति,

दिनांक

13 JUN 2025

1. प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक/निदेशक,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जिला-- इन्दौर/खंडवा/खरगोन/धार/झाबुआ/बडवानी/बुरहानपुर/अलिराजपुर
2. विभागाध्यक्ष/निदेशक,
समस्त अध्ययनशालाएँ
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।

विषय:- विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम के लिए प्रभावी पहल करने
बाबद।

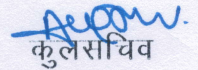
संदर्भ:- कमांक 389/रास/यू.ए.-3/2014, दिनांक 04 अप्रैल, 2014 के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि माननीय कुलाधिपति
जी की मंशानुसार आगामी शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व आपके संस्थान में उपाय कर
लिए जाएं, जिससे कि रैगिंग की घटना घटित ही न हो।

1. रैगिंग की रोकथाम के लिए गठित समितियों (एन्टी रैगिंग कमेटी/एन्टी रैगिंग स्क्वाड)
का आवश्यकतानुसार पुनर्गठन कर, उन्हें सक्रिय रखा जाए।
2. विगत वर्षों में हुई घटनाओं व परिलक्षित न्यूनताओं की पुनरावृत्ति न हो, इस दृष्टि से
व्यवस्था का पुनरावलोकन कर लिया जावे।
3. रैगिंग की रोकथाम के प्रयासों की सामयिक समीक्षा कर "जीरो टॉलरेंस नीति" का
दृढ़ता से पालन किया जाये।
4. शिक्षा परिसर एवं सार्वजनिक स्थलों (जहाँ रैगिंग की घटना घटित होने की संभावना
हो सकती है) पर यथा संभव निगरानी रखे जाने की व्यवस्था की जावे।

रैगिंग निषेध हेतु यू.जी.सी. रेगुलेशन 2009 के तहत कार्यवाही कर, अधिष्ठाता, छात्र
कल्याण विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

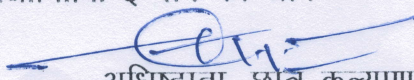

कुलसचिव

पृष्ठा.कमांक:संवि.क./रैगिंग रोकथाम/2025/363
प्रतिलिपि:-

दिनांक

13 JUN 2025

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. उपसचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
भारत।
3. कुलगुरुजी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर
सूचनार्थ।


अधिष्ठाता, छात्र कल्याण